न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 117 सन् 2017
पंजीयन दिनांक 21.06.2017

1. डालचन्द पिता मोहनलाल जाति जाट–मृतक के बजाय
   1. संतोष पत्नि डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. प्रेम पुत्री डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. अंजना पुत्री डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   4. सुमन पुत्री डालचन्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नि डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   5. रतनलाल पुत्र डालन्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नि डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. [illegible]खी पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. प्यारा पिता चमना जाति जाट– मृतक के बजाय
   1. नारायण पिता प्यारा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. अनोपी पुत्री प्यारा जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. चम्पालाल पिता मोहनलाल जाति जाट निवासी आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. उपपंजीयक कार्यालय गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 103/2015 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.07.16

उपस्थित– 1. चम्पालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. छोगालाल जाट – रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 व 1/2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 3 व 4

निर्णय **दिनांक 15.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा आजोलिया का खेडा तहसील गंगरार की खाता सं. 75 मे दर्ज आराजी नम्बर 90,91,92,173 कुल किता 4 कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 1/2 व प्रतिवादी सं. 1 से 3 संयुक्त का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात शामलाती खातेदारी की होने से आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अलग–अलग दर्ज फरमाई जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से दिनांक 08.10.2015 को प्रस्तुत किया गया। जो अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.11.2015 नियत की गई। इसी दरमियान पत्रावली राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 18.05.16 को आजोलिया का खेडा ग्राम पंचायत पर लोक अदालत का गठन किया गया। जिसमे उभय पक्षकारान उपस्थित हुए। व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने की सहमति प्रदान की गई। जिस पर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का मिन्टस एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गयी। व कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मगवाये जाने की तहरीर जारी की गई। जिस पर कमिश्नर तहसीलदार गंगरार अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे दिनांक 22.06.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर दिनांक 05.07.2016 को अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे फर्द बंटवाडा प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो की आपत्ति को सुनी जाकर दिनांक 05.07.2016 को कैम्प कोर्ट आजोलिया का खेडा मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है।

अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.16 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 2 ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के साथ अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपीलान्टगण स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 को बिना सूचित किये लोक अदालत मे प्रकरण नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व अपीलान्टगण की अनुपस्थिति मे कमिश्नर द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। उक्त फर्द बंटवाडे के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलान्टगण की यह आपत्ति भी रही है कि फर्द बंटवाडा कमिश्नर स्वंय के द्वारा मुर्तिब नही किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियो से फर्द बंटवाडा तैयार किया गया है जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 व 1/2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का पूर्व मे हुए बंटवाडे के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे बंटवाडा किये जाने का वादपत्र अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। जिसमे प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी थी व जवाबदावे मे पत्रावली नियत थी। इसी दरमियान प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आजोलिया का खेडा मे गठित किया गया। जिसमे उभय पक्षकारान उपस्थित हुए व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने की सहमति प्रदान की जिस पर उभयपक्षो की सहमति के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से की मिन्टस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित की गई। व कमिश्नर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा तलब किया गया। जिस पर कमिश्नर स्वंय ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ मौके पर जाकर उभय पक्षकारान व मौतबीरान की उपस्थिति मे बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। व उक्त फर्द बंटवाडे पर आपत्ति व एतराज सुना जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण नही होना बताते हुए अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण स. 1/1 व 1/2 वादीगण ने बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की तामील हुई व तामील के बाद अपीलान्टगण व अन्य प्रतिवादीगण अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुए व पत्रावली दिनांक 18.05.2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट आजोलिया का खेडा मे नियत हुई। जिसमे उभय पक्षकारान उपस्थित हुए। व राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हक व हिस्से के अनुसार मिन्टस एण्ड बाउण्डस के आधार पर सहमति प्रदान की जिससे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो के सहमति के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। व प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर स्वंय के द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना की जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे व मौतबीरान की उपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाडे पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो न्यायोचित एवं विधिपूर्ण होने से अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार के प्रकरण संख्या 103/2015 मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2016 यथावत रखायी जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.

अपील सं. 117/2017 /डिक्री

① श्री डालचन्द पिता मोहनलाल जाट मृतक बनाम के वारसान ① संतोष पत्नी डालचन्द जाट ② पुष्पा पुत्री डालचन्द जाट ③ अंजना पुत्री डालचन्द जाट ④ सुमन पुत्री डालचन्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नी डालचन्द जाट ⑤ रतनलाल पुत्र डालचन्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता संतोष पत्नी डालचन्द जाट ② -धापु पत्नी मोहन लाल जाट सभी निवासी आजोलिया का खेड़ा तहसील- गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-अपीलान्ट

① श्री प्यारा पिता चमना जाट मृतक के वारसान 1/1 - नारायण पिता प्यारा जाट ② प्रेमदेवी पुत्री प्यारा जाट ② चम्पालाल पिता मोहन लाल जाट सभी निवासी- आजोलिया का खेड़ा तहसील- गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ③ उप पंजीयक कार्यालय गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ ④ अधिकारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

-रेस्पोंडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री ....उपखण्ड अधिकारी गंगरार........ दि. ...5-7-16...

प्रकरण सं.......10/2015...... अन्तर्गत धारा.......53/188....................रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक.......15-3-22...... को अपीलान्ट की ओर से

अधिवक्ता श्री ......चम्पालाल जाट...... रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री ......छोगालाल जाट रेस्पो. 1/1 व 1/2, हरगोपाल स्वर्णकार - राजकीय अभिभाषक

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 5-7-2016 यथावत रखे जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि.......दो पक्ष.............रुपये हैं,

..............पक्ष.........द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे.............पक्ष.............द्वारा

दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक..15-3-22.. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 15-3-22

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोंडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	